न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0—28/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00044

उनवान —सरकार बनाम अंशू अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल प्रो0मैसर्स अजन्ता डेयरी मिल्क एण्ड फूडस प्रा0लि0 रीको ग्रोथ सेंन्टर धौलपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदनसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री अंशू अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल प्रो0मैसर्स अजन्ता डेयरी मिल्क एण्ड फूडस प्रा0लि0 रीको ग्रोथ सेंन्टर धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2019 को अप्रार्थी की मैसर्स अजन्ता डेयरी मिल्क एण्ड फूडस प्रा0लि0 रीको ग्रोथ सेंन्टर धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान डेयरी में स्थित कोल्डरूम में रखा लगभग 100 किलो ग्राम पनीर जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर में से एक किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त एक किलो ग्राम पनीर नमूना डी—1611 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 के अनुसार उक्त पनीर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से नोमिनी श्री रामवीर सुपरवाईजर उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री अंशू अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल प्रो0मैसर्स अजन्ता डेयरी मिल्क एण्ड फूडस प्रा0लि0 रीको ग्रोथ सेंन्टर धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 15,000/—रुपये (पन्द्रह हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)